2) राज्यपाल (Governor)

- राज्यपाल
  - कनाडा (✓) ⇒ नियुक्त / Appointed
  - USA (✗) ⇒ निर्वाचित / elected

- राज्यपाल (दोहरी भूमिका)
  - केन्द्र + राज्य = संपर्क
  - माध्यम = केन्द्र सरकार — राज्य पर नजर
  - राज्य का संवैधानिक प्रमुख
    - विधायिका
    - कार्यपालिका

    } संपर्क सूत्र.

- **153**
  - प्रत्येक राज्य → एक राज्यपाल
    EACH STATE → A GOVERNOR
  - 7 CA 1956 → एक व्यक्ति → एक ही समय पर → दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

- **154**
  - राज्य की कार्यपालिका शक्ति (Ex. power of state).
  - शक्ति → राज्यपाल
  - प्रयोग (USE)
    - या तो स्वयं (Direct)
    - या फिर अधीनस्थ अधिकारियों (Subordinate office).

155

- नियुक्ति (Appointment) ✓ | निर्वाचन (election) ✗
  - नियुक्ति (Appointment) → कनाडा
  - निर्वाचन (election)
    - अमेरिकी मॉडल
    - मुख्यमंत्री वाली व्यवस्था
    - अलगाववाद (Sepuation)
    - केन्द्र सरकार – राज्यों पर नियंत्रण
    - संघवाद
      - Union ✓ → राज्यपाल
      - federal ✗
    - राज्य का संवैधानिक प्रमुख
- राष्ट्रपति (PR)

- 156
  - → कार्यकाल (Tenure)
  - → 156(1) → "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" (Pleasure of president)
    - • PR की इच्छा
    - • PR — जब चाहे
      - → हटा | Remove.
      - → TRASFER
      - → पुन: नियुक्त
      - ↓ संविधान मे राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।
    - • Raj. HC = 1981 = सूर्यनारायण → सही है।
  - → 156(2) → त्यागपत्र (R) → राष्ट्रपति (PR)
  - ↓ 156(3)
    - → सामान्य (general) → 5 वर्षों
    - → नया राज्यपाल आने तक वह अपने पद पर बना रहेगा।

157

- → योग्यताओं (qualifications)
- → 157 / संविधान → सिर्फ 2 योग्यताएं
  - → भारत का नागरिक
    citizen of India
  - → न्यूनतम आयु (minimum) ⇒ 35 वर्ष.
- ↓ परंपरा (Tradition)
  - → कई बार उल्लंघन
  - → मुख्यमंत्री से परामर्श (Sugg with CM).
  - → राज्यपाल - उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।

= सरकारिया आयोग =
(1983-1988)

1) प्रतिष्ठित व्यक्ति (Prominent)
2) उसी राज्य का निवासी नहीं।
3) तटस्थ व्यक्ति
4) राजनीति में अधिक सक्रिय नहीं
5) मुख्यमंत्री से परामर्श।
6) कार्यकाल = fix = 5 वर्ष
7) कार्यकाल समाप्ति के बाद सक्रिय राजनीति ना करे।

155 + 156 + 157

- नियुक्ति ✓
- कार्यकाल ✓
- योग्यताएं ✓

अत्यधिक विवादित ⟹ आयोगों (Comm.)

- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1st ARC = 1966)
- राजमन्नार समिति (TN द्वारा – 1969)
- सरकारिया आयोग (1983).
- वेंकट चलैया समिति (2000 – NCRWC)
- पुंछी आयोग (2007).

2nd ARC < 2005, वी मोइली.

❑ राज्यपाल का पद (अनुच्छेद 153)

- प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
- **7वाँ संविधान संशोधन, 1956 — एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल** नियुक्त किया जा सकता है।

❑ राज्य की कार्यपालिका शक्ति (अनुच्छेद 154)

- राज्य की कार्यपालिका शक्ति → राज्यपाल
- वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

❑ राज्यपाल का नियुक्ति (अनुच्छेद 155)

- नियुक्ति → **राष्ट्रपति** द्वारा हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant)
  - ✓ केंद्र द्वारा मनोनीत
  - ✓ अमेरिकी मॉडल (निर्वाचित) को छोड़कर कनाडाई मॉडल (नियुक्त)
  - ✓ पहली महिला राज्यपाल : सरोजिनी नायडू (संयुक्त प्रांत, 1947)
  - ✓ हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक (1979) : राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है; यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है।
- **"प्रत्यक्ष निर्वाचन" के स्थान पर "नियुक्ति" क्यों?**
  - ✓ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव (दोनों जनादेश का दावा करते)
  - ✓ राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है
  - ✓ राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह व्यक्तिगत मामला बन जाता
  - ✓ निर्वाचन से अलगाववादी प्रवृत्ति को बल मिलता
  - ✓ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति से केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बना रहता है।
  - ✓ राज्यपाल का चुनाव आम चुनाव के समय होने पर गंभीर समस्या खड़ी होती।

प्रथम प्रशासनिक सुधार — 1966	राजमन्नार समिति — 1969	सरकारिया आयोग — 1983
○ प्रथम अध्यक्ष → **मोरारजी देसाई**, — बाद में **के. हनुमंतैया** ○ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005, **वीरप्पा मोइली** — बाद में **वी. रामचंद्रन**)	○ तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में गठित → रिपोर्ट — 1971 ○ अध्यक्ष — डॉ. पी.वी. राजमन्नार (मद्रास HC) ○ केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बनी पहली बड़ी समिति	○ अध्यक्ष → रणजीत सिंह सरकारिया (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) ○ केंद्र-राज्य संबंधों पर सबसे प्रामाणिक और सर्वाधिक उद्धृत आयोग ○ राज्यपाल को हटाने का कारण बताना चाहिए और हटाने से पूर्व उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।
○ किसी भी **व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल** नियुक्त किया। ○ नियुक्ति से प**हले मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श** अवश्य। ○ **सार्वजनिक व प्रशासनिक अनुभवयुक्त** व्यक्ति।	○ राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से ही होनी चाहिए। ○ एक समिति गठित की जानी चाहिए जिसके सदस्य — न्यायाधीश, प्रख्यात वकील व प्रशासक हों।	○ राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ○ अनुच्छेद 156 में संशोधन कर, नियुक्ति में मुख्यमंत्री की प्रभावी सलाह-मशविरा से निर्णय होना चाहिए। ○ राज्यपाल सक्रिय राजनीति से संबंधित न हो। ○ राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष निश्चित होनी चाहिए। ○ केंद्र में सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति राज्यपाल न हो और वह राज्य की राजनीति से आत्मीयता से न जुड़ा हो।

वेंकट चलैया समिति — 2000	पूंछी आयोग — 2007
○ **राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC)** ○ न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) ○ इसने मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन, शिक्षा के अधिकार, दल-बदल कानून में कठोरता, अंतर्राज्यीय परिषद को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जैसे विषयों पर भी सिफ़ारिशें दीं।	○ अध्यक्ष — न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी (पूर्व मुख्य न्यायाधीश) ○ रिपोर्ट 2010 में — सात खंडों में। ○ सरकारिया "सुधारवादी" है और पूंछी "आमूल परिवर्तनवादी"। ○ "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" (during the pleasure of the President) वाक्यांश को हटाने की सिफारिश की।
○ नियुक्ति हेतु समिति → केंद्र (प्रधानमंत्री, गृहमंत्री), राज्य (मुख्यमंत्री) और विधायिका (लोकसभा अध्यक्ष) ○ कार्यकाल 5 वर्ष हो। ○ हटाने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए ○ दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप न हो। ○ विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमपूर्ण तरीके से हो ○ राज्यपाल मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शक (friend, philosopher & guide) के रूप में कार्य करे।	○ राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर ही हटाया जाना चाहिए। ○ राज्यपाल की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की समिति; ○ राज्यपाल का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल; ○ मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश ○ राज्यपाल को कुलाधिपति के पद से मुक्त करने का सुझाव

कसौटी	प्रथम ARC (1966)	राजमन्नार (1969)	सरकारिया (1983)	पूंछी (2010)	वेंकट चलैया (2002)
मुख्यमंत्री से परामर्श	✓	✓	✓	—	✓
गैर-राजनीतिक	✓	—	✓	—	—
कार्यकाल की सुरक्षा	—	—	✓	✓	✓

कसौटी	निष्कर्ष (Takeaway)
1. मुख्यमंत्री से परामर्श	○ नियुक्ति या हटाने से पूर्व मुख्यमंत्री से "प्रभावी सलाह" अनिवार्य हो। ○ पाँच में से चार आयोगों ने यही कहा।
2. गैर-राजनीतिक	○ व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त हो, पर सक्रिय दलगत राजनीति से दूर हो।
3. कार्यकाल की सुरक्षा	○ 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल। "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" हटाने के बजाय कारण बताया जाए।

❑ राज्यपाल का नियुक्ति (अनुच्छेद 156)

- **अनुच्छेद 156(1) → राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत**
  - ✓ राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है,
  - ✓ एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण
  - ✓ पुनर्नियुक्ति कर सकता
  - ✓ संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया या आधार (Grounds) का कोई उल्लेख नहीं है।
  - ✓ सूर्य नारायण चौधरी बनाम भारत संघ (1981) द्वारा पुष्टि
- **अनुच्छेद 156(2) → राष्ट्रपति को त्याग पत्र**
- अनुच्छेद 156(3) → उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन रहते हुए, **5 वर्ष की अवधि** तक पद धारण करेगा।
  - ✓ कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद, राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010)

- 'प्रसादपर्यंत' का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति मनमाने या अनुचित तरीके से राज्यपाल को पद से हटा दे।
- केवल केंद्र में सरकार बदलने के आधार पर राज्यों के राज्यपालों को एकमुश्त हटा देना असंवैधानिक है।
- राज्यपाल केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी या एजेंट नहीं है।
- यदि याचिकाकर्ता यह सिद्ध कर दे कि हटाने का निर्णय दुर्भावनापूर्ण (malafide) या मनमाना था, तो न्यायालय इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

“ संविधान संयवाद और संतुलन ”

राजनीतिक आधार पर राज्यपालों को हटाने का इतिहास

(लक्ष्मीकांत आधारित सार)

राज्यपाल पद की गरिमा, संविधान की मर्यादा

“ निष्पक्ष पद, मजबूत लोकतंत्र ”

1. 1977

जनता पार्टी सरकार

कांग्रेस शासन द्वारा नियुक्त राज्यपालों को हटाया गया।

“ केंद्र में सत्ता परिवर्तन, राज्यपालों की विदाई ”

2. 1980

कांग्रेस की वापसी

जनता सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को हटाया गया।

“ सरकार बदली, राज्यपाल भी बदले ”

3. 1989

वी. पी. सिंह सरकार

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सभी राज्यपालों से त्यागपत्र माँगा; कुछ को हटाया गया।

“ नई सरकार, नई प्राथमिकताएँ ”

4. 1991

पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार

कांग्रेस सरकार ने वी. पी. सिंह व चंद्रशेखर सरकारों द्वारा नियुक्त राज्यपालों को बदला।

“ राजनीतिक बदलाव का असर राज्यपालों पर ”

5. 2004

UPA सरकार

4 राज्यपालों (उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा) को हटाया गया।
इसी कार्रवाई के विरुद्ध **बी. पी. सिंघल मामला** दायर हुआ।

“ मामला पहुँचा न्यायालय, तय हुई संवैधानिक कसौटी ”

मुख्य निष्कर्ष: केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्यपालों को राजनीतिक आधार पर हटाने की परंपरा कई बार देखी गई, जिसे बाद में **बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010)** में न्यायिक कसौटी पर परखा गया।

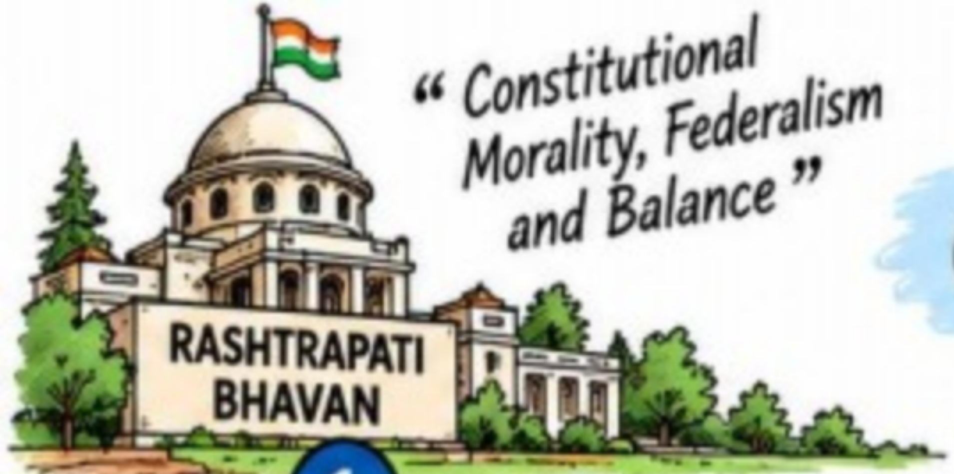

“Constitutional Morality, Federalism and Balance”

History of Dismissal of Governors on Political Grounds

(Key Instances – as per Laxmikanth)

“The Governor is a constitutional head, not a political agent.”

– For a stronger federal democracy

1. 1977

Janata Party Government

The Janata Party government dismissed the Governors appointed by the Congress government.

“Change of government led to change of Governors.”

2. 1980

Return of Congress

After the return of the Congress to power, Governors appointed by the Janata government were removed.

“With a change in government, Governors were again replaced.”

3. 1989

V. P. Singh Government

The National Front government led by V. P. Singh asked all Governors to tender their resignations; some were removed.

“New government, new approach.”

4. 1991

P. V. Narasimha Rao Government

The Congress government led by P. V. Narasimha Rao replaced Governors appointed by the V. P. Singh and Chandrashekhar governments.

“Political change led to another round of replacements.”

5. 2004

UPA Government

The UPA government removed 4 Governors (Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana, Goa). This led to the filing of the **B. P. Singhal** case.

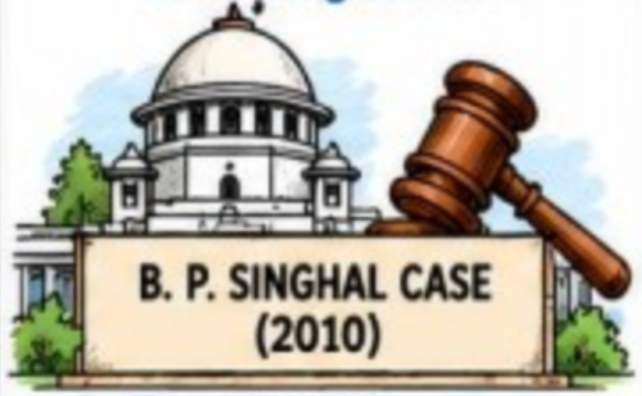

“Removal of Governors challenged in Supreme Court.”

Key Takeaway: The history shows that Governors were often removed after a change in the Union government on political grounds. This practice was later judicially examined in the **B. P. Singhal v. Union of India (2010)** case.

❑ योग्यताएं (अनुच्छेद 157)

- भारत का नागरिक हो
- न्यूनतम आयु → 35 वर्ष
- दो परंपराएँ (संविधान में नहीं)
  - ✓ राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ वह नियुक्त किया जाता है — ताकि स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
  - ✓ राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति (केंद्र) संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे — ताकि संवैधानिक व्यवस्था सुचारु चले।
- इन दोनों परंपराओं का **कई मामलों में उल्लंघन हुआ** है।